क्रम-संख्या–78

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 10 मई, 2017

वैशाख 20, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–9

———

संख्या 111/9-9–2017-170ज-2006

लखनऊ, 10 मई, 2017

———

अधिसूचना

प0आ0–140

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2014) की धारा 36 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, नगरीय पथ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण करने और पथ विक्रय किया-कलापों का विनियमन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) यह उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2–(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2014) से है;

(ख) 'पथ विक्रय प्रमाण पत्र' का तात्पर्य किसी पथ विक्रेता को ऐसे क्षेत्र जैसा, कि प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाय, में पथ विक्रय हेतु प्राधिकृत करने के लिए नगर पथ विक्रय समिति द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र से है;

(ग) 'प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;

(घ) 'निदेशक' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के निदेशक के रूप में नियुक्त अधिकारी से है;

(ङ) 'अनुरक्षण शुल्क' का तात्पर्य पथ विक्रय परिक्षेत्र में किसी पथ विक्रेता को उपलब्ध कराई गई नागरिक सुख साधनों और सुविधाओं के निमित्त नगर पालिका द्वारा अवधारित धनराशि से है;

(च) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत से है;

(छ) 'पथ विक्रय रहित परिक्षेत्र' का तात्पर्य किसी क्षेत्र, स्थान, अवस्थिति या परिक्षेत्र अथवा उसके भाग जहाँ पथ विक्रय गतिविधियाँ न चलाने की घोषणा की गई हो, से है;

(ज) 'योजना' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 21 के अधीन तैयार की गई, किसी योजना से है;

(झ) 'प्रतिबन्धित पथ विक्रय परिक्षेत्र' का तात्पर्य किसी क्षेत्र, स्थान, अवस्थिति या किसी परिक्षेत्र अथवा उस के भाग, जहाँ कतिपय समयावधि के दौरान पथ विक्रय की गतिविधियों की अनुमति दी जाय, से है।

(ञ) 'प्रतिबन्ध मुक्त पथ विक्रय परिक्षेत्र' का तात्पर्य किसी क्षेत्र, स्थान, अवस्थिति या किसी परिक्षेत्र या उसके भाग, जहाँ पथ विक्रेताओं को बिना किसी प्रतिबन्ध के पथ विक्रय सम्बन्धी कियाकलापों की अनुमति दी जाय से है;

(ट) 'स्कीम' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 38 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्मित स्कीम से है;

(ठ) 'पथ विक्रय प्रभार' का तात्पर्य किसी पथ विक्रेता, जिसे पथ विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो द्वारा भुगतान किये गये प्रभार से है।

(2) शब्द और पद, जो परिभाषित नही हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

प्रतिषेध

3–(1) कोई भी व्यक्ति इस नियमावली के अधीन पथ विक्रय प्रमाण–पत्र के बिना किसी सार्वजनिक स्थान या खुली भूमि पर विक्रय के सम्बंध में कोई स्थान नहीं घेरेगा, कोई सामान सम्प्रदर्शित नहीं करेगा या नहीं लगायेगा अथवा पथ विक्रय द्वारा सेवा या माल की बिक्री नही करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, पथ विक्रय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित क्षेत्रों या स्थानों से भिन्न किन्ही क्षेत्रों या स्थानों में पथ विक्रय द्वारा अथवा फेरी करके अपना सामान नही बेचेगा या सेवा नहीं प्रदान करेगा।

(3) किसी पथ विक्रेता को ऐसे किन्हीं क्षेत्रों और स्थानों, जिनके लिए उनके पास नगर पथ विक्रय समिति द्वारा प्रदत्त पथ विक्रय प्रमाण–पत्र न हो, में पथ विक्रय कियाकलाप सम्बंधी कारोबार किये जाने का अधिकार नहीं होगा।

नगर पथ विक्रय समिति का गठन

4–(1) अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में एक नगर पथ विक्रय समिति का गठन किया जायेगा। समिति का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिये होगा:

परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई नगर पथ विक्रय समिति, अधिनियम और उसके अधीन बनाई गयी नियमावली और स्कीम के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो राज्य सरकार किसी नगर पथ विक्रय समिति को भंग कर सकती है और उक्त समिति के भंग किये जाने के दिनांक से तीन माह के भीतर एक नयी नगर पथ विक्रय समिति का गठन करेगी।

(2) प्रत्येक नगर पथ विक्रय समिति में निम्नलिखित होंगे:–

(क) यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) सदस्य जिनकी संख्या निम्नलिखित होगी:–

(एक) नगर पंचायत के मामले में अनधिक दस;

(दो) नगरपालिका परिषद के मामले में अन्यून दस और अनधिक बीस;

और

(तीन) नगर निगम के मामले में अन्यून बीस और अनधिक चालीस;

(ग) गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा योग्यता के आधार पर पारदर्शी रीति से नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या दस प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(घ) नगर पलिका क्षेत्र के पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, जिनका चयन नियम 5 के अधीन उपबंधित रीति से स्वयं में से किया जायेगा:

परन्तु पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के एक तिहाई सदस्य महिला पथ विक्रेताओं में से होंगी:

परन्तु पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक तिहाई सदस्य, महिला पथ विक्रेताओं में से होंगे:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों तथा निःशक्त पथ विक्रेताओं को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा;

(ङ.) शेष सदस्य, निम्नलिखित श्रेणियों में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे:–

(एक) अध्यक्ष, द्वारा नाम निर्दिष्ट नगर पालिका के सदस्य या पार्षद, जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी;

(दो) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी (जहाँ उपलब्ध हों);

(तीन) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा नामनिर्दिष्ट यातायात पुलिस का एक प्रतिनिधि;

(चार) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट स्थानीय पुलिस का एक प्रतिनिधि, जो कि क्षेत्राधिकारी से कम रैंक का न हो;

(पाँच) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट नगर स्तरीय पंजीकृत बाजार संगठनों और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि, जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी;

(छः) नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट स्थानीय कल्याण संघों से अनधिक दो सदस्य;

(सात) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला प्रशासन का एक प्रतिनिधि;

(आठ) मुख्य प्रबन्धक द्वारा नामनिर्दिष्ट लीड बैंक का एक प्रतिनिधि;

(नौ) आवास आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का एक प्रतिनिधि;

(दस) किसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विकास प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि;

(ग्यारह) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा नामनिर्दिष्ट नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि;

(बारह) राज्य लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि;

(तेरह) उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विद्युत निगम का एक प्रतिनिधि

(चौदह) राज्य अग्नि शमन विभाग के पुलिस अधीक्षक (अग्निशमन) द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य अग्निशमन विभाग का एक प्रतिनिधि;

(पन्द्रह) यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट नगरपालिका का एक अधिकारी जो सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) यदि राज्य सरकार की राय में नगर पथ विक्रय समिति का कोई सदस्य अधिनियम या इस नियमावली द्वारा उसके अधीन अधिरोपित अपने कर्तव्यों का पालन करने में निरन्तर चूक करता है अथवा अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करता है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उस सदस्य को नगर पथ विक्रय समिति से हटा सकती है।

पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन की रीति

5—(1) पथ विक्रेताओं से कोई सदस्य निम्नलिखित रीति से निर्वाचित किया जायेगा:—

(क) सम्बंधित नगरपालिका ऐसी नगर पालिका में प्रसारण वाले किन्हीं दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में, नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिये पथ विक्रेताओं के पंजीकृत संघों से आवेदन-पत्र आहूत करने के लिए सूचना प्रकाशित करेगी। सूचना की एक प्रति उक्त नगरपालिका की अधिकारिता के अधीन आने वाले स्थानीय बाजारों के सहजदृष्य स्थानों पर भी प्रदर्शित की जायेगी;

(ख) अन्य बातों के साथ पूर्वोक्त सूचना में सूचना के प्रकाशन का दिनांक, आवेदन-पत्र का प्रपत्र अन्तिम दिनांक, और आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की रीति अन्तर्विष्ट होगी;

(ग) पूर्वोक्त सूचना, नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिए आवेदन-पत्र जमा करने के अन्तिम दिनांक से तीस दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी;

(घ) कोई व्यक्ति, किसी संघ का सदस्य होने पर, परिचय प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण-पत्र के साथ नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिए अपने संघ में आवेदन कर सकता है;

(ङ) पथ विक्रेताओं का संघ खण्ड (घ) के अधीन तद्निमित्त आवेदित सदस्यों में से अपने सदस्यों को निर्वाचित कर सकता है और नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिये संस्तुति कर सकता है;

(च) नगरपालिका, खण्ड (ङ) के अधीन संस्तुत आवेदकों के विवरण, विशेष रूप से नगरपालिका की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले पथ विक्रय क्षेत्र में कार्य अनुभव का ब्यौरा और ऐसे अन्य विवरण जिसे वह उचित समझे के संबंध में सूचनायें प्राप्त करेगी;

(छ) खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट संस्तुतियाँ प्रस्तुत होने पर, नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी प्रत्येक संस्तुत आवेदक को एक विशिष्ट आवेदन-पत्र संख्या आवंटित करेगा और पथ विक्रेता संघों के साथ-साथ सभी आवेदकों को संसूचित करेगा;

(ज) यदि प्राप्त संस्तुतियाँ अपेक्षित संख्या से अधिक हों तो नगरपालिका अपेक्षित सदस्यों का चयन लॉटरी के आधार पर करेगी। ऐसी लाटरी हितबद्ध पक्षों की उपस्थिति में सम्पन्न की जायेगी;

(झ) नगरपालिका, पूर्वोक्त सूचनायें और नगर पथ विक्रय समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की सूची भी अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी तथा इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेगी;

(ञ) नगर पथ विक्रय समिति की रचना, सम्बन्धित नगरपालिका की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी और इस सम्बन्ध में एक प्रेस नोट जारी की जायेगी।

(2) नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी उपनियम (1) के अधीन निहित उद्देश्य के लिये नगर पालिका के तीन अधिकारियों की एक समिति स्थापित कर सकता है।

नगर पथ विक्रय समिति के कृत्य

6—नगर पथ विक्रय समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:—

(क) अपनी अधिकारिता के अधीन स्थित सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण संचालित करना और, पथ विक्रय परिक्षेत्र की धारण क्षमता और प्रतिमानों के अध्याधीन पथ विक्रय परिक्षेत्र में उनको स्थान देना सुनिश्चित करना;

(ख) ऐसी निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन और पथ विक्रेताओं की योजना में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों को सम्मिलित करते हुए ऐसी अवधि, जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट हो के अन्तर्गत पथ विक्रय प्रमाण—पत्र जारी करना;

(ग) जहाँ पथ विक्रेता पथ-विक्रय के विनियमन के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं निबन्धन या शर्तों का उल्लंघन करता है वहाँ उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात उसके पथ-विक्रय प्रमाण-पत्र को निरस्त या निलम्बित करना;

(घ) प्रत्येक पथ विक्रेता, जिसे पथ-विक्रय प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा चुका है को परिचय पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करना;

(ङ) नगरपालिका द्वारा पथ विक्रेताओं को दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं का अनुश्रवण करना;

(च) बिना प्रतिबन्ध के पथ-विक्रय क्षेत्र, दिनांक, दिवस और समय से सम्बन्धित प्रतिबन्धित क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों, जिन्हें पथ-विक्रय रहित परिक्षेत्र चिह्नित किया जायेगा, के सीमांकन के लिए नगरपालिका को संस्तुति करना;

(छ) अधिनियम की 'प्रथम अनुसूची' में अन्तर्विष्ट विषय वस्तु को आच्छादित करते हुए पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु योजना तैयार करने के लिए नगर पालिका को संस्तुति करना;

(ज) प्राकृतिक बाजारों के अवधारण के लिए नगरपालिका को संस्तुति करना;

(झ) पथ-विक्रय के लिए निबन्धन एवं शर्तों को नियत करना;

(ञ) शुल्क और अन्य प्रभारों को संग्रह करना;

(ट) पथ विक्रेताओं को कोई क्षेत्र या कोई स्थान या कोई अवस्थिति उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मानकों का विनिश्चय करना;

(ठ) साप्ताहिक बाजारों की निरन्तरता और उनका उच्चीकरण सुनिश्चित करना;

(ड) अधिनियम की धारा 38 के अधीन बनाई गई पथ विक्रय स्कीम के कियान्वयन और निष्पादन का अनुश्रवण करना;

(ढ) समय-समय पर पथ विक्रय शुल्क नियत करना;

(ण) नगरपालिका या राज्य सरकार को समय-समय पर विवरणी या वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(त) पथ विक्रेताओं के अभिलेख विस्तृत रूप से अनुरक्षित और अद्यावधिक रखना;

(थ) पथ विक्रेता चार्टर प्रकाशित करना;

(द) उसके कियाकलापों की सामाजिक सम्परीक्षा कियान्वित करना;

(ध) पथ विक्रेताओं को साख, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी स्कीमों को उपलब्ध कराने सम्बंधी प्रोन्नयन उपायों को अपनाने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति भेजना;

(न) प्रत्येक पथ विक्रय परिक्षेत्र में अधिकतम धारण क्षमता का मूल्यांकन और अवधारण करना;

(प) नगरपालिका में पथ विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि या कमी के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण/जनगणना करना;

(फ) यह सुनिश्चित करना कि जनता को उपलब्ध कराये गये उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता नगरपालिका तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित लोक स्वास्थ्य, आरोग्य और सुरक्षा के मानकों के अनुरूप है;

(ब) नगर/शहर/बाजार निर्माण दिवस आदि सहित महत्वपूर्ण अवसरों, अवकाशों को मनाने के लिए साप्ताहिक बाजारों, त्योहारी बजारों, रात्रिकालीन बाजारों के संघों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सुविधा प्रदान करना;

(भ) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे चल पथ विक्रेता जिन्हें स्टाल/पथ विक्रय स्थल/पथ विक्रय क्षेत्र आवंटित हैं, वे वास्तव में उनका उपयोग कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना कि इन्हें किराये पर नहीं दिया गया हो या न बेचा गया हो;

(म) कोई अन्य कृत्य जैसा कि राज्य सरकार या सम्बंधित नगर पालिका द्वारा समय-समय पर समनुदेशित किया जाय।

नगर पथ विक्रय समिति की बैठक

7–(1) कारबार के सम्व्यवहार के लिए नगर पथ विक्रय समिति की बैठक, प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन माह में उस स्थान और उस समय, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय, नगर पालिका की अधिकारिता के अन्तर्गत की जायेगी।

(2) स्थगित की गई बैठक के अलावा प्रत्येक बैठक में समव्यहृत किये जाने वाले कारबार की सूची, नगर पथ विक्रय समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए नियत किये गये समय से कम से कम अड़तालिस घण्टें पूर्व भेज दी जायेगी:

परन्तु यदि कारबार की सूची डाक द्वारा भेजी जाय तो इसे इस प्रकार भेजी जाय कि उसे सदस्यों को निर्धारित समय के भीतर तामील की जा सके।

(3) नगर पथ विक्रय समिति का अध्यक्ष, जब उचित समझे, समिति की बैठक आहूत कर सकता है और समिति के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अधियाचन किये जाने पर समिति की बैठक आहूत करेगा।

(4) नगर पथ विक्रय समिति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें नगर पथ विक्रय समिति के परिधि की विषय-वस्तु के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो, को सहयुक्त कर सकती है और उसे या उन्हें वह भत्ता जो समिति द्वारा अवधारित किया जाय, संदत्त कर सकती है।

(5) नगर पथ विक्रय समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित पथ विक्रेताओं और पदाधिकारियों के अतिरिक्त नियम–4 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और (ग) के उपबंधों के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों को नगर पथ विक्रय समिति ऐसा भत्ता दे सकती है जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

गणपूर्ति

8 समिति की किसी बैठक में तब तक कोई कारबार संव्यवहृत नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्पूर्ण बैठक तक समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न रहें।

नगर पथ विक्रय समिति की बैठक में विनिश्चय

9–(1) समिति द्वारा विचारार्थ और विनिश्चय किये जाने हेतु, अपेक्षित समस्त विषय, बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किये जायेंगे।

(2) मामले की अत्यावश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समिति, कार्य सूची के परिचालन द्वारा विनिश्चय कर सकती है।

(3) समिति की अगली बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाहियों की पुष्टि की जायेगी।

(4) नगर पथ विक्रय समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी किसी ऐसे एक अधिकारी को पदाभिहित करेगा, जो समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

नगर पथ विक्रय समिति के लिये कार्यालय, स्थल, कर्मचारी वर्ग, और सचिव का उपबंध किया जाना

10–नगर पालिका, नगर पथ विक्रय समिति को पर्याप्त उपस्कर सहित समुचित कार्यालय, स्थल, पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी का उपबंध करेगी।

उपसमितियाँ

11–(1) नगर पथ विक्रेता समिति अपने किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए एक या अधिक उपसमितियों का गठन कर सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन गठित किसी उपसमिति के पास ऐसे अधिकार होंगे और वह ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगी जैसा कि नगर पथ विक्रेता समिति, समय-समय पर प्रतिनिधानित करे या प्रदान करे।

पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण

12–(1) नगर विक्रय समिति, अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार नगर पालिका की अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण संचालित करेगी।

(2) सर्वेक्षण, प्रपत्र–1 में परिक्षेत्र, वार्ड और बाजार के अनुसार किया जायेगा और सभी आँकड़े डिजिटल रूप में संग्रहीत किये जायेंगे।

पथ विक्रेताओं का पंजीकरण

13–(1) प्रत्येक नगर पालिका में नियम 11 के अधीन किये गये सर्वेक्षण के अधीन अभिज्ञात सभी पथ विक्रेताओं को पहचान के विश्वसनीय श्रोतों के आधार पर नगर पथ विक्रय समिति द्वारा निःशुल्क किसी साधारण शुल्क पर पंजीकृत किया जायेगा।

(2) जो पहली बार पथ विक्रय कार्य कराना चाहते हैं, उन्हें पथ विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा परन्तु इसके लिए उन्हें शपथ पूर्वक यह बयान देना होगा कि उनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है और वे पथ विक्रय स्थल से अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से व्यक्तिगत रूप से इसे संचालित करेंगे। पथ विक्रय परिक्षेत्र में स्थान की उपलब्धता के अध्यधीन उन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

(3) पथ विक्रेताओं को प्रपत्र–2 में पंजीकृत करने का अधिकार, नगर पथ विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी में निहित होगा।

(4) प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात पंजीकरण को नवीकृत किया जा सकेगा।

(5) सर्वेक्षण में अभिज्ञात पथ विक्रेताओं, जिन्होंने आवेदन के दिनांक को चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, को पंजीकृत नहीं किया जायेगा।

पथ विक्रय प्रमाण पत्र का जारी किया जाना

14–(1) नियम–11 के अधीन किये गये सर्वेक्षण में अभिज्ञात और नियम-12 के अधीन पंजीकृत प्रत्येक पथ विक्रेता को, नगर पथ विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नगरपालिका के किसी अधिकारी द्वारा पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(2) प्रत्येक पथ विक्रेता, अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करेगा।

(3) पथ विक्रय प्रमाण पत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के अधीन जारी किया जायेगा, अर्थात –

(क) स्थिर विक्रेता, या

(ख) चल विक्रेता, या

(ग) साप्ताहिक बाजार का विक्रेता, या

(घ) कोई अन्य श्रेणी जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट हो अथवा जैसा कि नगर पथ विक्रय समिति द्वारा अवधारित किया जाय।

(4) निबन्धन और शर्तें, जिन पर प्रपत्र–2 में वचनपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, निम्नवत हैं:–

(एक) स्थिर पथ विक्रय के लिए स्थायी संरचना निर्माण करने पर रोक रहेगी;

(दो) पथ विक्रेता, नगरीय पथ विक्रय समिति द्वारा यथा अवधारित शुल्क का नियमित रूप से और समय पर संदाय करेगा;

(तीन) पथ विक्रय के दौरान जनित अपशिष्ट, सड़क, फुटपाथ या नाली या मलनाली में नहीं फेंका जायेगा। अपशिष्ट डस्टबिन में एकत्र किया जायेगा और घर–घर से अपशिष्ट एकत्र करने वाली नगरपालिका द्वारा अधिकृत अभिकरण को हस्तगत कराया जायेगा। इस सेवा हेतु उन्हें मासिक प्रयोक्ता प्रभार का भुगतान करना होगा।

(चार) प्रत्येक पथ विक्रेता, विक्रय–स्थल और उसके संलग्न क्षेत्रों में स्वच्छता अनुरक्षित रखेगा। खाद्य पदार्थ बेचनेवाले पथ विक्रेता लोक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता को अनुरक्षित रखेंगे।

(पाँच) पथ विक्रय प्रमाण–पत्र में आवंटित स्थल और उल्लिखित समय पर ही पथ विक्रय किया जायेगा। इसका किसी प्रकार का उल्लंघन, अधिनियम और उक्त स्कीम का उल्लंघन माना जायेगा और पथ विक्रेता अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवधारित शास्ति, जिसमें पथ विक्रय प्रमाण–पत्र का निरस्तीकरण भी सम्मिलित है, का दायी होगा।

(छ) पथ विक्रेता नागरिक सुविधाओं का अनुरक्षण और पथ विक्रय परिक्षेत्र तथा संलग्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

(सात) पथ विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि पथ विक्रय की गतिविधियों के कारण यातायात/वाहनों का सुगम संचालन हो और लोक सुविधायें बाधित न हों।

(आठ) पथ विक्रेता प्रतिबन्धित वस्तुओं को नहीं बेचेंगे। वे ऐसी कोई गतिविधि/कार्य/व्यापार/सेवा-कार्य नहीं करेंगे जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हों या लोक बाधा/उपताप उत्पन्न करते हों।

(नौ) यदि आवश्यक हो, अधिनियम की, धारा 18 के उपबंधों के अधीन स्थान की उपलब्धता के आधार पर निकटवर्ती पथ विक्रय परिक्षेत्र में पथ विक्रेता को पुनर्स्थापित किया जाय।

(दस) पैदल उपरिगामी सेतुओं और फलाईओवर पर कोई पथ विक्रय सम्बंधी कियाकलाप नहीं किया जायेगा।

(ग्यारह) पूजा स्थल के बाहर पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय सम्बंधी कियाकलाप करने और देवी-देवता को चढ़ाने हेतु भक्तों द्वारा अपेक्षित सामग्रियों यथा पुष्प, चंदन, काष्ठ, मोमबत्ती, अगरबत्ती, नारियल, चादर और मिष्ठान आदि का विक्रय करने की अनुमति दी जा सकती है। नगर पथ विक्रय समिति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस सम्बंध में विनिश्चय कर सकती है और पथ विक्रेताओं को इन निर्बंधनों और अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, विकलांग जनों, और अल्प संख्यकों के पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने में अधिमान दिया जायेगा।

(6) पथ विक्रय प्रमाण-पत्र पांच वर्षों के लिये जारी किया जायेगा। यदि सभी निबन्धन और शर्तों का सच्चाई से अनुपालन किया गया हो और अधिनियम और नियमावली का उल्लंघन न किया गया हो तो पथ विक्रय प्रमाण-पत्र आगे पाँच वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत किया जायेगा।

(7) प्रत्येक पथ विक्रेता, जिसे पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, नगर पालिका को ऐसे पथ विक्रय शुल्क का भुगतान करेगा, जैसा कि नगर पथ विक्रय समिति द्वारा स्थानीय स्थितियों और पथ विक्रेताओं की श्रेणियों को दृष्टिगत रखते हुए नियत किया जाय।

(8) प्रत्येक पथ विक्रेता नगर पालिका को पथ विक्रय परिक्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई नागरिक सुख साधनों और सुविधाओं के लिए समय-समय पर ऐसे अनुरक्षण शुल्कों का भुगतान करेगा जैसा कि नगरपालिका द्वारा अवधारित किया जाय।

(9) जहाँ किसी पथ-विक्रय परिक्षेत्र में पथ-विक्रेताओं की संख्या उस परिक्षेत्र की धारणक्षमता से अधिक पाई जाय वहां नगर पथ-विक्रय समिति, उस पथ-विक्रय परिक्षेत्र हेतु पथ-विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लाटरी निकालेगी। शेष पथ-विक्रेताओं को किसी पार्श्ववर्ती पथ विक्रय परिक्षेत्र, जहाँ पथ-विक्रय के लिये समुचित स्थान उपलब्ध हो, में स्थान दिया जायेगा।

विक्रय परिक्षेत्रों का सीमांकन

15-(1) नगर पथ-विक्रय समिति की संस्तुति पर नगर पालिका द्वारा प्रत्येक नगर पालिका में कुछ क्षेत्रों, स्थानों, वार्डों या परिक्षेत्रों या उनके आंशिक भाग को प्रतिबन्ध मुक्त पथ विक्रय परिक्षेत्र, प्रतिबन्धित पथ-विक्रय परिक्षेत्र और पथ-विक्रय रहित परिक्षेत्र घोषित किया जा सकेगा।

(2) स्थिर पथ-विक्रेताओं, जो किसी विशिष्ट स्थान पर नियमित आधार पर पथ विक्रय कियाकलाप करते हों, के लिए सम्बंधित नगरपालिका द्वारा पथ-विक्रय स्थलों और पथ विक्रेता बाजारों का विनिश्चय किया जायेगा।

(3) प्रत्येक नगर पालिका में चल पथ-विक्रेताओं के लिए एक या अधिक वार्डों को मिलाकर पथ-विक्रय परिक्षेत्र होंगे जहाँ वे अपनी वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम-घूम कर पथ विक्रय करते हुए अभिहित क्षेत्रों में पथ-विक्रय सम्बंधी कियाकलाप कर सकेंगे।

(4) कतिपय स्थान, क्षेत्र, वार्ड या परिक्षेत्र प्रतिबन्धित पथ-विक्रय परिक्षेत्र के रूप में अभिहित किये जा सकेंगे जहाँ पथ-विक्रेता सम्बन्धित समय और दिन आदि में किसी प्रकार का विक्रय सम्बंधी कियाकलाप नहीं कर सकेंगे।

(5) कतिपय स्थल, क्षेत्र, वार्ड या परिक्षेत्र पथ-विक्रय रहित परिक्षेत्र के रूप में अभिहित किये जा सकेंगे जहाँ विक्रय सम्बन्धी कियाकलाप पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।

(ङ) नगर पालिका स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं, व्यावहारिकताओं और तर्काधार को दृष्टिगत रखते हुए, विक्रय परिक्षेत्रों के सीमांकन के उद्देश्यों से उपविधियाँ बना सकेगी।

नये पथ विक्रय बाजार बनाने का उपबंध

16—शहर/नगर की महायोजना में, महायोजना, परिक्षेत्रीय योजनाओं और स्थानीय क्षेत्र की योजनाओं का अन्तिम रूप देते समय या उनका पुनरीक्षण करते समय नये पथ—विक्रय बाजार बनाने के लिए विशिष्ट उपबंध किये जायेंगे। ऐसी योजनाओं में आरक्षित स्थान पथ विक्रेताओं की वर्तमान संख्या और पूर्वगामी पाँच वर्षों की वृद्धिदर पर आधारित भावी वृद्धिदर के अनुरूप होना चाहिए।

पथ-विक्रय प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण या निलम्बन

17—(1) पथ-विक्रय प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण या निलम्बन, नगर पथ-विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) यदि किसी पथ—विक्रेता द्वारा किसी समय विहित शर्तों का उल्लंघन किया जाता है अथवा उसके पथ विक्रय कियाकलापों से यातायात के संचालन में व्यवधान या उपताप सत्यापित हो जाता है तो पथ—विक्रय प्रमाण—पत्र निरस्त किया जा सकता है और आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

(3) जहाँ पथ-विक्रय प्रमाण-पत्र धारक, अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या स्कीम में विनिर्दिष्ट किसी भी निबन्धन और शर्त को भंग करता है या दुर्व्यपदेशन, कपट अथवा कूट—रचना के माध्यम से पथ विक्रय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है या कोई वस्तु, जो भी हो, यथा स्थिति उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के उपबंधों का उल्लंघन करके किसी सार्वजनिक स्थान या किसी सार्वजनिक पथ पर फेकी गयी हो या विक्रय के लिए खुली रखी गयी हो, वहां नगर पथ विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी जाँच और अनुसंधान की अवधि में उस समय तक जितना वह उचित समझे पथ विक्रय प्रमाण-पत्र निलम्बित कर सकेगा अथवा प्रपत्र—4 में उसको कारण बताओ नोटिस जारी करने और सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात पथ विक्रय प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकेगा।

पथ विक्रेता का दायित्व .....

18— (1) प्रत्येक पथ-विक्रेता को पथ-विक्रय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों के अनुसार पथ-विक्रय कियाकलाप सम्बंधी कारबार करने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक पथ-विक्रेता, जिसके पास पथ-विक्रय प्रमाण-पत्र हो, अपने पुनः स्थान निर्धारण की स्थिति में अपने पथ विक्रय-कियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिये नगर पथ विक्रय समिति के परामर्श से नगरपालिका द्वारा यथा अवधारित, यथा स्थिति, नये स्थल या क्षेत्र के लिए हकदार होगा।

(3) जहाँ कोई पथ विक्रेता समयांश के आधार पर स्थान घेरता है, वहाँ उसे प्रतिदिन अनुमन्य समयांश अवधि की समाप्ति पर अपनी वस्तुएं और सामग्री हटानी होगी।

(4) प्रत्येक पथ विक्रेता, पथ-विक्रय परिक्षेत्र में नागरिक सुविधायें और लोक सम्पत्तियों को अच्छी स्थिति में अनुरक्षित रखेगा और उन्हें क्षतिग्रस्त या विनष्ट नहीं करेगा, और न ही क्षतिग्रस्त या विनष्ट करने देगा।

(5) प्रत्येक स्थिर पथ-विक्रेता को, पथ-विक्रय परिक्षेत्र में जहाँ समुचित रूप से उपलब्ध हो, 2 मीटर x 2 मीटर से अनधिक क्षेत्र, इस रीति से उपलब्ध कराया जा सकेगा कि स्थानीय और पैदल यातायात में बाधा उत्पन्न न हो और दूकानों तथा आवासों तक की पहुँच बन्द न हो।

(6) पैदल सेतुओं, उपरिगामी सेतुओं और फ्लाई ओवर के ऊपर पथ-विक्रय कियाकलाप नहीं किया जायेगा।

(7) कोई पथ-विक्रेता जनता अथवा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई वाद्ययन्त्र या संगीत बजाकर कोई शोर उत्पन्न नहीं करेगा।

(8) प्रत्येक पथ विक्रेता, अपने पथ विक्रय स्थलों की सफाई के लिए नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों तथा नगरपालिका का कोई कार्य करने के लिए नगरपालिका के अन्य कर्मचारी-वर्ग को भी पूर्ण सहयोग देगा।

(9) प्रत्येक पथ-विक्रेता को अपना परिवेश शुद्ध एवं स्वच्छ रखना होगा।

(10) पथ-विक्रय क्षेत्र या स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।

(11) कोई पथ-विक्रेता प्रतिबन्धित वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा।

पथ विक्रेता का पुनर्स्थापन

19-(1) पथ विक्रेता, जो पथ-विक्रय प्रमाण-पत्र धारित करता हो, नगर पालिका द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकेगा, यदि—

(क) किसी लोक प्रयोजन के लिए वार्ड या उसका सांशिक भाग या स्थान, पथ-विक्रय रहित परिक्षेत्र घोषित किया जाता है;

(ख) नागरिक सुविधाओं या अन्य अवसंरचनाओं के अनुरक्षण के लिए निर्माण और विकास का कार्य किया जाता है;

(ग) यातायात और परिवहन में बाधा, अवरोध और विघ्न उत्पन्न हो;

(घ) कानून और व्यवस्था बनाये रखने की स्थिति उत्पन्न होती है;

(ङ) पथ-विक्रय परिक्षेत्र में पथ विक्रेताओं की संख्या धारण क्षमता से अधिक हो;

(च) यातायात और परिवहन का दबाव और वहाँ पर भीड़भाड़ हो;

(छ) कोई अन्य कारण हो जो नगर पथ-विक्रय समिति की दृष्टि में उचित हो।

(2) पुनर्स्थापित स्थान की उपलब्धता परिवहन यातायात संचरण और जनसंख्या घनत्व की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। नगरपालिका, नगर पथ-विक्रय समिति की संस्तुति पर उपरोक्त मानदण्ड और स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में क्षेत्र की धारण क्षमता अवधारित करेगी।

(3) पथ विक्रेताओं के पुनर्स्थापन की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए की जायेगी—

(क) स्थान जिसके लिए पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, अत्यावश्यक लोक प्रयोजनों के लिए अत्यधिक रूप से अपेक्षित हो;

(ख) पथ-विक्रेता का पुनर्स्थापन इस प्रकार किया जायेगा कि वह कम से कम अपनी आजीविका अनुरक्षित रखे;

(ग) जहाँ तक सम्भव हो, पथ विक्रेता की आस्तियाँ विनष्ट न की जायं;

(घ) पथ-विक्रेता को उचित विधि प्रक्रिया से भिन्न रूप में पुनर्स्थापित नहीं किया जायेगा;

(ङ) प्राकृतिक बाजार, जहाँ पचास वर्षों से अधिक समय से पथ विक्रय सम्बंधी क्रियाकलाप किये जा रहे हों, विरासत वाले बाजारों के रूप में घोषित किये जा सकते हैं और उनमें पथ-विक्रय सम्बंधी क्रियाकलाप करने वाले पथ-विक्रेताओं को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है;

(च) किसी पथ-विक्रेता के पुनर्स्थापन के लिए उसे प्रपत्र-5 में तीस दिवस की नोटिस दी जायेगी;

(छ) किसी ऐसे पथ विक्रेता जो नोटिस में उल्लिखित समय के अन्तर्गत स्थान को रिक्त करने में विफल रहता है को बलपूर्वक उस स्थान से पुनर्स्थापित किया जायेगा जैसाकि नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय।

पथ विक्रेता की बेदखली

20-(1) नगरपालिका द्वारा किसी पथ-विक्रेता को बेदखल किया जा सकता है यदि—

(क) उसका पथ विक्रय प्रमाण-पत्र अधिनियम की धारा 10 के अधीन रद्द किया जा चुका हो;

(ख) उसके पास विधिमान्य पथ-विक्रय प्रमाण-पत्र न हो;

(ग) वह बिना पथ विक्रय प्रमाण-पत्र के पथ विक्रय सम्बंधी क्रियाकलाप करता हुआ/करती हुई पाया जाय/पायी जाय;

(घ) वह अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन किया हो/की हो;

(2) किसी पथ-विक्रेता को प्रपत्र–6 में एक माह की नोटिस दिये जाने के पश्चात् ही बेदखल किया जायेगा।

(3) यदि कोई पथ-विक्रेता उपनियम (2) के अधीन नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है और स्थान रिक्त नहीं करता है तो नगर पालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उसे भौतिक रूप से बलपूर्वक, जैसा कि उचित समझा जाय बेदखल कर देगा।

वस्तुओं का अभिग्रहण और वापस लिया जाना

21–(1) यदि कोई पथ-विक्रेता स्थान रिक्त किये जाने की नोटिस का अनुपालन नहीं करता है तो एक माह की समाप्ति के पश्चात नगर पालिका उस पथ विक्रेता के वस्तुओं को अभिगृहीत भी कर सकती है;

(2) वस्तुओं को अभिग्रहीत और वापस लिये जाने की कार्यवाही अधिनियम की धारा 19 के उपबंधों के अधीन की जायेगी;

(3) पथ-विक्रेता अपने वस्तुओं को वापस लिये जाने के लिए यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, अथवा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है;

(4) अभिगृहीत वस्तुओं को वापस लिये जाने के शुल्क का अवधारण नगर पथ-विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नगर पालिका के किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा;

(5) यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, उपनियम (4) के अधीन नियत शुल्क के भुगतान और पथ विक्रेता जिसकी वस्तुए अभिगृहीत की गयी हों से, एक वचनपत्र कि वह बेदखल किये गये स्थान या परिक्षेत्र में स्थित किसी अन्य स्थान पर पथ-विक्रय सम्बंधी कियाकलाप नहीं करेगा प्राप्त करने के पश्चात वस्तुओं को मुक्त कर सकता है।

परिचय-पत्र जारी किया जाना

22–(1) प्रत्येक पथ-विक्रेता, जिसे पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, को नगर पथ-विक्रय समिति द्वारा प्राधिकृत नगर पालिका के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिचय-पत्र प्रपत्र–7 में जारी किया जायेगा।

(2) परिचय-पत्र पथ-विक्रेता की जेब में रखा जायेगा और नगर पथ-विक्रय समिति या नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा माँग किये जाने पर दिखाया जायेगा।

पथ विक्रेताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधायें

23–(1) नगरपालिका द्वारा पथ-विक्रेताओं को पथ-विक्रय परिक्षेत्र में उपलब्धता के अध्यधीन निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं:–

(क) ठोस अपशिष्ट निस्तारण की सुविधा;

(ख) सार्वजनिक प्रसाधनों की सुविधा;

(ग) पेयजल की सुविधा;

(घ) प्रकाश व्यवस्था की सुविधा;

(ङ) कोई अन्य सुविधा जो सम्बंधित नगर पालिका द्वारा आवश्यक समझी जाय;

(2) (क) किसी पथ-विक्रेता को वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सकता है जिससे कि उसे कारबार के संचालन में समर्थ बनाया जा सके। निजी अंशदानों और वित्तीय संस्थानों संसाधनों से ऋण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा सकता है। अनुदान प्रदान किये जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है;

(ख) पथ-विक्रेताओं, जिन्हें पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है, के लिए सामूहिक बीमा योजना प्रारम्भ की जा सकती है;

(ग) पथ-विक्रेताओं की सामाजिक परिस्थिति के उन्नयन के लिए और सामाजिक सुरक्षा की कल्याणकारी योजनाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों, पथ विक्रेताओं समुदाय और संघों तथा अन्य कल्याणकारी संगठनों की सहायता ली जा सकती है।

नगर पथ विक्रय समिति के विनिश्चय

24–(1) कोई व्यक्ति, जो नगर पथ-विक्रय समिति के विनिश्चय से व्यथित हो आदेश प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर यथास्थिति [illegible]

(2) अपील दाखिल किये जाने के समय नगर पथ विक्रय समिति के आदेश की प्रति और अन्य सुसंगत अभिलेख और दस्तावेज उसके साथ संलग्न किये जायेंगे।

(3) अपीलार्थी अपने कागज-पत्र यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा और उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

(4) सुनवाई का दिनांक नियत किया जायेगा और अपीलार्थी और साथ ही साथ नगर पथ विक्रय समिति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए सम्मन भेजा जायेगा।

पथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण और विवादों के समाधान की रीति

25–(1) शिकायतों के निवारण या विवादों के समाधन के लिए पथ-विक्रेता द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्रों पर विचार करने के प्रयोजनार्थ अधिशाषी समिति या नगर पालिका द्वारा गठित समिति जिसमें नगर पालिका के यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष और नगरपालिका के दो अन्य सदस्य, सदस्य के रूप में होंगे, को आवदेन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) शिकायत या विवाद के संबंध में आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने पर समिति यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, से प्रकरण पर आख्यायें और टिप्पणियाँ एकत्र करेगी और आवेदन-पत्र की प्राप्ति से एक माह के भीतर उस विवांद के निस्तारण के लिए कदम उठायेगी। इस सम्बंध में उठाये गये कदमों की संसूचना आवदेक को लिखित रूप से आवेदन-पत्र प्राप्ति के दिनांक से पैंतालीस दिन के भीतर दी जायेगी।

(3) कोई व्यक्ति जो उपनियम (1) में गठित समिति के विनिश्चय से व्यथित हो उपनियम (2) के अधीन तदविषयक विवरण की संसूचना प्राप्ति से तीस दिवसों के भीतर नगर पालिका को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(4) नगरपालिका अपीलार्थी को सम्मन जारी करेगी और उसे एक माह के अन्दर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अगले एक माह में अपील का निस्तारण कर सकती है।

अनुश्रवण

26–इस नियमावली और उक्त अधिनियम में विहित उपबन्धों का अनुश्रवण निम्नलिखित स्तरों पर किया जायेगा:–

(क) नगर पथ-विक्रय समिति इस नियमावली में उल्लिखित नीतियों और उपबंधों के कियान्वयन का अनुश्रवण करने के लिये उत्तरदायी होगी;

(ख) नगर पथ विक्रय समिति अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी प्रत्येक स्थिर या चल या साप्ताहिक बाजार के पथ विक्रेता के संबंध में ऐसे अद्यायधिक सूचना की पंजिका अनुरक्षित रखेगा, जिसमें ऐसे पथ विक्रेता का नाम, उसे आवंटित स्थान, उसके द्वारा किये जा रहे कारबार या पथ विक्रय-कार्य की प्रकृति, पथ-विक्रय की श्रेणी, अपील का विवरण, शिकायतों का निवारण, विवादों का समाधान, पथ-विक्रय शुल्क, पंजीकरण शुल्क, शास्ति, अनुरक्षण शुल्क प्रयोक्ता प्रभार, रोकड़ बही और पथ-विक्रेताओं से सुसंगत अन्य विवरण अन्तर्विष्ट हो;

(ग) नगरपालिका नगर पथ-विक्रय समिति की कार्यप्रणाली और कियाकलापों पर निरन्तर निगरानी रखेगी;

(घ) नगर पथ-विक्रय समिति का वार्षिक प्रतिवेदन, जिसमें निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट होगा, यथाशक्य शीध्र नगर पालिका के सम्मुख रखा जायेगा, जो तत्पश्चात् ऐसी कार्यवाही करेगी जैसा कि यह उचित समझे:–

(एक) स्थिर, चल और साप्ताहिक बाजारों के पथ-विक्रेताओं, जिन्हें पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो की संख्या;

(दो) संग्रहीत राजस्व (लेखाशीर्षकवार);

(तीन) किये गये उन्नयन संबंधी उपाय और अन्य उपाय ;

(चार) प्राप्त और निस्तारित अपीलों की संख्या;

(पाँच) निस्तारित शिकायतों और निपटाये गये विवादों की संख्या;

(छ) उपगत व्यय;

(सात) पथ-विक्रेताओं के कल्याण और उनकी समुन्नति के लिए उठायें गये कदम;

(आठ) सर्वोत्तम कार्य पद्धतियाँ (यदि कोई हों);

(नौ) विषयगत कोई अन्य उपलब्धि;

(ङ) नगर पथ विकय समिति, वार्षिक प्रतिवेदन नगरपालिका के अनुमोदन के पश्चात निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगी।

निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय की भूमिका

27—नगरीय स्थानीय निकाय का निदेशक:—

(1) नियंत्रण, पर्यवेक्षण, समान्य अधीक्षण का प्रयोग और नगरपालिकाओं की स्कीम के कियान्वयन पर निगरानी रखेगा/अनुश्रवण करेगा;

(2) क्षेत्र स्तर पर स्कीम के कियान्वयन का सामयिक निरीक्षण करेगा;

(3) स्कीम के कियान्वयन के निष्पादन की समीक्षा करेगा;

(4) स्कीम के प्रभावी कियान्वयन के लिए नगरपालिका को आवश्यक निर्देश/दिशा निर्देश जारी करेगा;

(5) नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन की संवीक्षा करेगा और स्कीम के सफल कियान्वयन के लिये निर्देश जारी करेगा;

(6) स्कीम के कियान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन करायेगा;

(7) स्कीम के उददेश्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार के साथ सम्पर्क रखेगा;

(8) नगरपालिका द्वारा स्कीम के कियान्वयन की अवधि में उत्पन्न विवादों के संबंध में निर्दिष्ट किये गये प्रकरणों में अन्तिम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

(9) राज्य सरकार द्वारा सौपें गये/प्रतिनिधानित किसी अन्य कृत्य का निस्तारण करेगा।

राज्य नोडल अधिकारी की पदाभिहित किया जाना

28—राज्य स्तर पर पथ विकय से सम्बन्धित समस्त मामलों के समन्वय के लिये निदेशक, स्थानीय निकाय या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी राज्य नोडल अधिकारी होगा।

निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय को विवाद और प्रश्नों का निर्देष्ट किया जाना

29—नगर पथ—विकय समिति की अधिकारिता के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में और अन्य मामलों के संबंध में उठने वाले विवाद या प्रश्न की स्थिति में, विवाद या प्रश्न निदेशक, स्थानीय नगरीय निकाय को निर्दिष्ट किये जायेंगे, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

अपराधों का शमन

30—(1) पथ विकेता, जो इस नियमावली या उसके अधीन बनाई गई स्कीम के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा को प्रत्येक अपराध के लिये अन्यून एक हजार पाँच सौ रुपये और अनधिक दो हजार रुपये जैसा कि नगर पालिका द्वारा अवधारित किया जाय, के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन प्रशमन शुल्क के रूप में एक हजार रुपये की धनराशि वसूल किये जाने पर नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

आज्ञा से,
कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव।

प्रपत्र–1

निकाय का नाम.....

पथ-विक्रेता की रंगीन पासपोर्ट साइज की अद्यतन फोटो

कमांक.....

पथ-विक्रेता के लिये सर्वेक्षण प्रपत्र
(नियम–12 देखें)

1. नाम.....
2. लिंग.....
3. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम.....
4. पता – (एक) स्थानीय .....
   (दो) स्थायी .....
5. आयु.....
6. पहचान–पत्र (यदि उपलब्ध हो)–(एक) पहचान पत्र संख्या.....
   (दो) निर्गमन प्राधिकारी का पदनाम.....
7. दूरभाष संख्या (यदि उपलब्ध हो).....
8. धर्म.....
9. अर्हताएं.....
10. बैंक खाता संख्या (यदि कोई हो).....बैंक का नाम.....
11. परिवार के सदस्यों का विवरण

कमांक	नाम	आयु	पथ-विक्रेता से सम्बन्ध

12. पथ विक्रय का विवरण–

कमांक	कारबार का नाम	कारबार का स्थान	कारबार में अनुभव	कारबार में प्रवेश की तिथि	कारबार में विनिधानित धनराशि	मासिक आय	कारबार की अवधि	अन्य

13. पथ विक्रय की श्रेणी (चल/स्थिर)/साप्ताहिक बाजार.....

(क) स्थिर पथ विक्रयः–

(एक) यदि स्थिर पथ विक्रय करते हैं तो दुकान लगाने का स्थान, मुहल्ला एवं वार्ड.....

(दो) चौहद्दी.....

(तीन) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर पथ विक्रय किया जाता है.....

(चार) विक्रय की जा रही वस्तु/सेवा का नाम.....

(ख) चल पथ विक्रयः–

(एक) यदि चल पथ विक्रय है तो कहां से कहां तक पथ विक्रय करते हैं.....

(दो) चल पथ विक्रय किस प्रकार करते हैं (ठेले पर/साइकिल पर/सिर पर सामान रखकर/अन्य.).....

(तीन) विक्रय की जा रही वस्तु/सेवा का नाम.....

(ग) साप्ताहिक बाजारों हेतु पथ विक्रेताः–

(एक) दिवसवार साप्ताहिक बाजारों का विवरण.....

(दो) प्रत्येक साप्ताहिक बाजारों के स्थान, मुहल्ला और वार्ड का नाम.....

(तीन) प्रत्येक साप्ताहिक पथ विक्रय बाजार की सीमा.....

(चार) पथ विक्रय उत्पादों/सेवाओं का नाम.....

14. (एक) क्या राशन कार्ड उपलब्ध है ? हां ..... नहीं.....
(दो) यदि हां ,तो वह गरीबी रेखा के नीचे का है अथवा नहीं ? हां..... नहीं.....
(तीन) राशन कार्ड संख्या तथा जारी करने वाले कार्यालय का नाम.....
15. श्रेणी क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग से संबंधित हैं? .....
16. अन्य विवरण .....

सर्वेक्षणकर्ता का नाम..... सर्वेक्षण की तिथि.....पथ-विक्रेता के हस्ताक्षर.....

प्रपत्र–2

निकाय का नाम.....

क्रमांक.....

पथ-विक्रेता की रंगीन पासपोर्ट साइज की अद्यतन फोटो

पथ-विक्रेताओं के पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र/वचनबद्धता

(नियम–12देखें)

1. नाम.....
2. लिंग.....
3. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम.....
4. पता – (क) स्थानीय .....
(ख) स्थायी .....
5. आयु.....
6. परिचय–पत्र (यदि उपलब्ध हो)–(क) परिचय पत्र संख्या.....
(ख) परिचय पत्र का प्रकार.....
7. दूरभाष संख्या (यदि उपलब्ध हो).....
8. अर्हता.....
9. परिवार के सदस्यों का विवरण:–

क्रमांक	नाम	आयु	पथ-विक्रेता से सम्बन्ध
	.....		

10.पथ विक्रय का विवरण–

क्रमांक	कारबार का नाम	कारबार का स्थान	कारबार का अनुभव	कारबार में प्रवेश करने की तिथि	कारबार में निधानित धनराशि	मासिक आय	कारबार की अवधि	अन्य

11. पथ विक्रय की श्रेणी (चल/स्थिर/साप्ताहिक बाजार का पथ विक्रेता)–
(एक) यदि स्थिर है तो स्थान, मुहल्ला एवं वार्ड, भूमि का क्षेत्रफल और वस्तुओं के नाम.....
(दो) यदि चल है तो मुहल्ला/वार्ड, वस्तुओं का नाम और प्रकार.....
12. पथ विक्रय की अवधि–.....
13. राशन कार्ड की संख्या और जारी करने वाले कार्यालय का नाम–
14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/शारीरिक रूप से विकलांग, महिला हैं तो प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें .....
15. पंजीकरण शुल्क .....

वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....घोषणा करता/करती हूँ कि –

(एक) मैं पथ विक्रय का कारबार स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से करूँगा/करूँगी।

(दो) मेरे पास आजीविका का अन्य साधन नहीं है।

(तीन) मैं पथ विक्रय प्रमाण-पत्र अथवा उसमें विनिर्दिष्ट स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी प्रकार से, जिसमें किराया भी सम्मिलित है, हस्तान्तरित नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक

प्रपत्र–3

निकाय का नाम.....

क्रमांक.....

पथ विक्रय प्रमाण-पत्र

(नियम–14 देखें)

पथ विक्रेता की पासपोर्ट साइज का रंगीन अद्यतन फोटो

पथ विक्रेता का नाम श्री/श्रीमती.....पथ विक्रेता कोड.....

पिता/पति/पत्नी का नाम.....

वर्तमान निवास स्थान.....

.....

नगर पथ विक्रय समिति की दिनांक ..... की बैठक के विनिश्चय के अनुसार आप को परिक्षेत्र– .....में बाजार /मुहल्ला..... मार्ग.....

.....(वार्ड.....) में.....मी0 (.....वर्ग मी0 क्षेत्रफल) में अस्थायी रूप से प्रातः .....बजे से सायं.....बजे तक के लिए स्थिर पथ विक्रय प्रमाण–पत्र/चल/साप्ताहिक बाजार विक्रय प्रमाण– पत्र 31 मार्च .....तक के लिए प्रदान की जाती है, जिसका सीमांकन एवं प्रतिबन्ध निम्नवत होंगे:–

स्थिर पथ विक्रय की सीमांकन–

पूर्व.....

पश्चिम.....

उत्तर.....

दक्षिण.....

निबंधन एवं शर्तें

(एक) स्थिर पथ-विक्रय हेतु स्थायी ढांचा का निर्माण करना प्रतिबंधित होगा।

(दो) पथ-विक्रेता को नगरीय पथ विक्रय समिति द्वारा निर्धारित शुल्क का नियमित रूप से समय पर भुगतान करेगा।

(तीन) पथ-विक्रय के दौरान जनित अपशिष्ट सड़क, फुटपाथ, या नाली या सीवर में नहीं फेंका जायेगा। अपशिष्ट डस्टबिन में एकत्र किया जायेगा और घर–घर से अपशिष्ट एकत्र करने वाली नगरपालिका द्वारा अधिकृत एजेन्सी को हस्तगत कराया जायेगा। इस सेवा हेतु उन्हें मासिक प्रयोक्ता प्रभार भुगतान करना होगा।

(चार) प्रत्येक पथ-विक्रेता विक्रय-स्थल और उसके संलग्न क्षेत्र में स्वच्छता अनुरक्षित रखेगा। खाद्य पदार्थ बेचने वाले पथ विक्रेता जन स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता अनुरक्षित रखेगा।

(पाँच) पथ-विक्रय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित आवंटित स्थल और समय पर ही पथ-विक्रय किया जायेगा। इसका उल्लंघन अधिनियम और इस स्कीम का उल्लंघन माना जायेगा और पथ विक्रेता अधिनियम के प्राविधानों के अधीन नियत शास्ति जिसमें पथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण भी सम्मिलित है, का दायी होगा।

(छः) पथ-विक्रेता नागरिक सुविधाओं का रख–रखाव और संलग्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

(सात) पथ-विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि पथ विक्रय की गतिविधियों के कारण यातायात/वाहनों को सुगम प्रवाह और जन सुविधायें बाधित न हों।

(आठ) पथ-विक्रेता प्रतिबन्धित वस्तुओं को नहीं बेचेंगे। वे ऐसी कोई गतिविधि कार्य/ व्यापार/सेवा कार्य नहीं करेंगे जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों या लोक बाधा उत्पन्न करते हों।

(नौ) यदि आवश्यक हो, अधिनियम की धारा 18 के प्राविधानों के अधीन स्थान की उपलब्धता पर संलग्न पथ विक्रय परिक्षेत्र में पथ विक्रेता पुनर्स्थापित किये जा सकते हैं।

(दस) पथ-विक्रेता, नगर पथ विक्रय समिति, नगर पालिका और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण करेगा।

(ग्यारह) पथ-विक्रेता द्वारा उपरिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार शास्ति, जिसमें पथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण भी सम्मिलित है, पथ विक्रेता पर आरोपित की जायेगी।

दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी
नगरीय पथ विक्रय समिति

प्रपत्र–4

नगरपालिका का नाम.....

पथ-विक्रय प्रमाण-पत्र रद्द किये जाने/निलम्बित किये जाने के लिये नोटिस

(नियम 17 देखिये)

पत्रांक..... दिनांक.....

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....पथ विक्रेता कोड संख्या.....पिता/पति का नाम..... वर्तमान निवास स्थान/पत्र व्यवहार का पता.....

.....

आपके आवेदन पत्र के क्रम में नगरीय पथ विक्रय समिति (Town Vending Committee) की स्वीकृति दिनांक .....द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांक.....दिनांक .....द्वारा आपको परिक्षेत्र–..... के अन्तर्गत बाजार/मुहल्ला .....मार्ग ..... (वार्ड.....) में मी0 x .....मी0 (.....वर्ग मी0 क्षेत्रफल) में स्थिर/चल पथ-विक्रय कार्य संचालित किए जाने का प्रमाण पत्र (Certificate of Vending) उसमें अंकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया गया था।

1. अब, आपको सूचित करना है कि –

आपने अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई नियमावली या योजना के अन्तर्गत पथ विक्रय को विनियमित करने के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट निम्नलिखित नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है–

(क).....

(ख).....

(ग).....

2. आपने पथ विक्रय प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण तथ्यों कपट और झूठी सूचनाओं के आधार पर प्राप्त किया है जो निम्नलिखित है/हैं–

(क).....

(ख).....

(ग).....

उपरोक्त के आलोक में आपसे दिनांक.....को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा आवश्यक अभिलेखों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। आप द्वारा उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट समय में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आपको इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। परिणामस्वरूप आपके पक्ष में निर्गत पथ विक्रय प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। विवेचना की अवधि में आपका पथ विक्रय प्रमाण–पत्र निलम्बित रहेगा।

प्राधिकृत अधिकारी,

नगरीय पथ विक्रय समिति।

प्रपत्र–5

निकाय का नाम.....

पथ विक्रेताओं के पुनर्स्थापन के लिये नोटिस

(नियम–19 देखें)

पत्रांक..... दिनांक.....

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....पथ विक्रेता का कोड संख्या.....पिता/पति का नाम..... वर्तमान निवास स्थान/पत्र व्यवहार का पता.....

.....

आपके आवेदन पत्र के क्रम में नगर पथ विक्रय समिति (Town Vending Committee) की स्वीकृति दिनांक .....द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांक.....दिनांक .....द्वारा आपको जोन–..... के अन्तर्गत बाजार/मुहल्ला .....मार्ग .....में मी0 x .....मी0 (..... .....वर्ग मी0 क्षेत्रफल) में स्थिर/चल पथ विक्रय संचालित किए जाने का प्रमाण पत्र (Certificate of Vending) उसमें अंकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया गया था।

आपको सूचित किया जाता है कि–

(एक) परिवहन के दबाव और अत्यधिक भीड़ और सड़क के चौड़ीकरण और अन्य विकास कार्यों के होने,

(दो) सड़क पर मेट्रो/फ्लाई ओवर का निर्माण प्रस्तावित होने,

(तीन) परिक्षेत्र या उसका अंश को पथ विक्रय रहित परिक्षेत्र घोषित होने,

(चार) यातायात और परिवहन के सुगम प्रवाह में बाधा होने,

(पाँच) कानून व्यवस्था की समस्या होने,

(छ) आपातकालीन स्थिति होने,

(सात) पथ विक्रय परिक्षेत्र की समावेश क्षमता से अधिक पथ विक्रेता होने,

(आठ) अन्य–(विनिर्दिष्ट करें) के कारण, निर्गत पथ विक्रय प्रमाण–पत्र में अंकित स्थान और क्षेत्र में पथ विक्रय कियाकलाप जारी रखना अनुमन्य नहीं है।

अतः आपको इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर पथ विक्रय प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान को खाली करने का निर्देश दिया जाता है।

आप द्वारा स्थान को खाली करने में असफल रहने की दशा में, नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि में व्यतीत होने के पश्चात् आप ऐसे दोष के लिए अधिनियम की धारा 18(5) के अन्तर्गत प्रतिदिन अर्थदण्ड जो रू0 250/–तक हो सकता है, के भुगतान के दायी होंगे।

पुनः आप वर्तमान स्थान से निम्नलिखित स्थान या क्षेत्र में पुःस्थापित किये जा सकते हैं–

(1)

(2)

(3)

प्राधिकृत अधिकारी.